न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 95/2020
GCMS No.- : 2020/00227

बनाम

–: वादीगण :–

1. शान्ति लाल पुत्र भंवर लाल जाति भाम्बी निवासी ग्राम बाडिया श्यामा पोस्ट जालिया तहसील ब्यावर जिला अजेमर।
2. माणकचन्द पुत्र पोकरराम, जाति मेघवाल, निवासी 84, श्री गोपाल नगर, मसूदा रोड ब्यावर, जिला अजमेर।
3. प्रेम कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया जाति भांबी, निवासी मोहन नगर ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर जी जाति कोली, निवासी शिव कॉलोनी नगरा अजमेर, जिला अजमेर।
5. बनवारीलाल पुत्र रतनलाल जाति नायक, निवासी कोहिनूर मार्बल के पीछे, गणेश कॉलोनी, देलवाड़ा रोड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
6. चम्पालाल पुत्र गुलाराम, जाति मेघवाल, निवासी गांव बाड़सा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
7. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.)
8. डालचन्द पुत्र छितरमल जी जाति भाम्बी, निवासी–2/28, गडडी थोरियान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

–: प्रतिवादीगण :–

1. मतुदेवी पुत्री आसूराम
2. भवंरु पुत्र मंगला
3. मदन गोदपुत्र नेना
4. मदन पुत्र भंवरु
5. काना पुत्र भंवरु
6. लक्ष्मण पुत्र ऊंकार
7. घासी पुत्र ऊंकार
   जातियान– भाम्बी, निवासीगण– गावं भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
8. रेणुकुमार पुत्र रतनलाल जैन जाति जैन, निवासी 5 विनोद नगर, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज)।
9. विजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह राठोड जाति राठोड निवासी चम्पानगर, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज)।
10. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू.07/10/2020**

उपस्थितः. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 11/08/2021**

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम भीवंगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 1891 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादीगण 539/900 हिस्से यानि 11 बीघा 15 बिस्वा 07 बिस्वांसी भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है मगर वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादीगण को हर समय उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागवत काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1891 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम हिस्से की भूमि मौके पर [illegible] है। वादीगण का अलग सें कब्जा व काश्त है वादीगण ने प्रतिवादीगण। को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी भूमि अनुसार वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने हेतु तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उन्होने बंटवाड़ा करवाने सें दिनांक 08.08.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई काननी अधिकार नही है वादीगण अपनी हक हिस्से की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने के अधिकारी है इसलिए यह दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतियादीगण के पेश है। बाद तकासमा आराजी वादीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टीप्लीसीटी आफ प्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार सायरी पत्नी मंगला फोत हो चुकी है जिसके विधिक वारिस भंवरु पुत्र मंगला है जिसको इस वादग्रस्त भूमि के वाद में प्रतिवादी सख्या 2 के रुप में पक्षकार बनाया गया है सायरी पत्नी मंगला के ओर कोई विधिक वारिस नही है। प्रतिवादी संख्या 10 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 08/08/2020 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने एवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीगण को उनके हक हिस्से व कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम भीवंगढ (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 से 07 व 09 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 08 की और से वकालतनामा पेश किया, जवाब दावा पेश नहीं करना, जवाबदावा बन्द किया जाता है। अधिवक्ता उभयपक्ष म[illegible]जस्व रेकर्ड वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतू सहमत है [illegible] की सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:22 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ग[illegible] प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भींवगढ़ सम्वत् 2072-2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

08 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 1891 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 08 के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम भीवंगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1891 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/58 दिनांक 22/01/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/2274 दिनांक 16/07/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भीवंगढ, पटवार हल्का रास द्वितीय, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास, तहसील जैतारण, जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1891 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म	लगाान
1.	शान्ति लाल पुत्र भंवर लाल कौम– भाम्बी सा. ग्राम बाडिया श्यामा पोस्ट जालिया तहसील ब्यावर जिला अजेमर हि. 50/539, माणकचन्द पुत्र पोकरराम, कौम– मेघवाल, सा. 84, श्री गोपाल नगर, मसूदा रोड ब्यावर, जिला अजमेर हि. 195/1078, प्रेम कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया कौम– भांबी, सा. मोहन नगर ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर हि. 50/539, महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर जी कौम– कोली, सा. शिव कॉलोनी नगरा अजमेर, जिला अजमेर हि.	1891	[illegible]	बारानी दोयम	2.93

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

	199/1078, बनवारीलाल पुत्र रतनलाल कौम- नायक, सा. कोहिनूर मार्बल के पीछे, गणेश कॉलोनी, देलवाड़ा रोड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर हि. 435/1078, चम्पालाल पुत्र गुलाराम, कौम- मेघवाल, सा. गांव बाड़सा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली हि. 45/3773, अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया कौम- रेगर, सा. अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.) हि. 100/3773, डालचन्द पुत्र छितरमल जी कौम- भाम्बी, सा.-2/28, गहड़ी थोरियान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर हि. 53/7546 खातेदार				
2.	रेणुकुमार पुत्र रतनलाल जैन जाति सा. 5 विनोद नगर, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर खातेदार	1891/1	3-06	बारानी दोयम	0.78
3.	मतुदेवी पुत्र आसूराम हि. 6/211, भवंरू पुत्र मंगला हि. 30/211, मदन गोद पुत्र नेना हि. 10/211, मदन पुत्र भंवरू हि. 5/211 लक्ष्मण पुत्र उंकार हि. 5/422, काना पुत्र भंवरू हि. 5/211, घासी पुत्र उंकार हि. 5/422, कौम भाम्बी सा. देह, विजेन्दसिंह पुत्र भंवर सिंह राठौड़ जाति- राजपूत सा. चम्पा नगर ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 खातेदार हि. 150/211	1891/2	4-12	बारानी दोयम	1.10

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:22 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 11/08/2021 को सरे-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादीगण

1. शान्ति लाल पुत्र भंवर लाल जाति भाम्बी निवासी ग्राम बाडिया श्यामा पोस्ट जालिया तहसील ब्यावर जिला अजेमर।
2. माणकचन्द पुत्र पोकरराम, जाति मेघवाल, निवासी 84, श्री गोपाल नगर, मसूदा रोड ब्यावर, जिला अजमेर।
3. प्रेम कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया जाति भांबी, निवासी मोहन नगर ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर जी जाति कोली, निवासी शिव कॉलोनी नगरा अजमेर, जिला अजमेर।
5. बनवारीलाल पुत्र रतनलाल जाति नायक, निवासी कोहिनूर मार्बल के पीछे, गणेश कॉलोनी, देलवाड़ा रोड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
6. चम्पालाल पुत्र गुलाराम, जाति मेघवाल, निवासी गांव बाड़सा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
7. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.)
8. डालचन्द पुत्र छितरमल जी जाति भाम्बी, निवासी-2/28, गडडी थोरियान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण

1. मतुदेवी पुत्री आसूराम
2. भवंरु पुत्र मंगला
3. मदन गोदपुत्र नेना
4. मदन पुत्र भंवरु
5. काना पुत्र भंवरु
6. लक्ष्मण पुत्र ऊंकार
7. घासी पुत्र ऊंकार

   जातियान- भाम्बी, निवासीगण- गावं भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
8. रेणुकुमार पुत्र रतनलाल जैन जाति जैन, निवासी 5 विनोद नगर ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज)।
9. विजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह राठोड जाति राठोड निवासी चम्पानगर ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज)।
10. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 95/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भीवंगढ, पटवार हल्का रास द्वितीय, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास, तहसील जैतारण, जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1891 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा	किस्म	लगाान
1.	शान्ति लाल पुत्र भंवर लाल कौम- भाम्बी सा. ग्राम बाडिया श्यामा पोस्ट जालिया तहसील ब्यावर जिला अजेमर हि. 50/539, माणकचन्द पुत्र पोकरराम, कौम- मेघवाल, सा. 84, श्री गोपाल नगर, मसूदा रोड ब्यावर, जिला अजमेर हि. 195/1078, प्रेम कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया कौम- भांबी, सा. मोहन नगर ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर हि. 50/539, महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर जी कौम- कोली, सा. शिव कॉलोनी नगरा अजमेर, जिला अजमेर हि. 199/1078, बनवारीलाल पुत्र रतनलाल कौम- नायक, सा. कोहिनूर मार्बल के पीछे, गणेश कॉलोनी, देलवाड़ा रोड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर हि. 435/1078, चम्पालाल पुत्र गुलाराम, कौम- मेघवाल, सा. गांव बाइसा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली हि. 45/3773, अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया कौम- रेगर, सा. अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.) हि. 100/3773, डालचन्द पुत्र छितरमल जी कौम- भाम्बी, सा.-2/28, गडडी थोरियान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर हि. 53/7546 खातेदार	1891	11-15	बारानी दोयम	2.93

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 12:15:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

2.	रेणुकुमार पुत्र रतनलाल जैन जाति सा. 5 विनोद नगर, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर खातेदार	1891/1	3-06	बारानी दोयम	0.78
3.	मतुदेवी पुत्र आसूराम हि. 6/211, भवंरू पुत्र मंगला हि. 30/211, मदन गोद पुत्र नेना हि. 10/211, मदन पुत्र भंवरू हि. 5/211 लक्ष्मण पुत्र उंकार हि. 5/422, काना पुत्र भंवरू हि. 5/211, घासी पुत्र उंकार हि. 5/422, कौम भाम्बी सा. देह, विजेन्दसिंह पुत्र भंवर सिंह राठौड जाति- राजपूत सा. चम्पा नगर ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 खातेदार हि. 150/211	1891/2	4-12	बारानी दोयम	1.10

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल यांबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 11/08/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	02-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	04-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुतफर्रिक	
मिजानः-	08-00	मिजानः-	02-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:22 IST
Reason: SelfAttested